भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1480

09.02.2026 को उत्तर के लिए

केरल में जलवायु अनुकूलन और आपदा न्यूनीकरण के लिए केंद्रीय सहायता

1480. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में जलवायु अनुकूलन, आपदा न्यूनीकरण और सुनम्यता निर्माण कार्यक्रमों के लिए संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में अत्यधिक विषम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बाढ़ शमन, भू-स्खलन की रोकथाम, तटीय कटाव नियंत्रण और नदी बेसिन प्रबंधन के लिए क्या सहायता प्रदान की गई है;

(ग) राज्य में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) और जलवायु संबंधी अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(घ) क्या केरल से कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित है या उसमें देरी हो रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक तैयारी सहित केरल की जलवायु सुनम्यता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेवारी बुनियादी स्तर पर संबंधित राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है और आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण (आरएंडआर) वित्तपोषण विंडो के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 14 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान केरल राज्य में मेप्पाडी, वायनाड भूस्खलन-2024 की आपदा के बाद पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं हेतु ₹260.56 करोड़ की सहायता को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ़) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं की स्थिति में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम उपशमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम को उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय केरल सहित 15 राज्यों के लिए ₹1000 करोड़ है। केरल के लिए आवंटित राशि ₹72 करोड़ है, जिसमें राज्य का 10% अंशदान शामिल है।

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफ़आरएमपी) (टियर-II शहरों हेतु) का दूसरा चरण आरंभ किया गया है, जिसका कुल बजट ₹2,200 करोड़ है। इस चरण में तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया है, जिसके लिए कुल ₹222.22 करोड़ का आवंटन किया गया है (जिसमें ₹200 करोड़ राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से (90%) तथा ₹22.22 करोड़ राज्य अंशदान (10%) के रूप में शामिल हैं)।

तटीय राज्यों में चक्रवात, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनवीआरएमपी) की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। चरण-II के अंतर्गत तटीय राज्यों–गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। चरण-II का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण हो चुका है, जिसकी कुल व्यय राशि ₹1,806.84 करोड़ रही। केरल राज्य को ₹134.90 करोड़ (जिसमें भारत सरकार का अंश ₹120.50 करोड़ तथा राज्य का अंश ₹14.40 करोड़ है) आवंटित किए गए।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफ़सीसी) के अंतर्गत "केरल के तटीय आर्द्रभूमियों में काप्पड और पोक्कली के एकीकृत कृषि तंत्र का संवर्धन" शीर्षक से एक परियोजना को ₹25.00 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ क्रियान्वित किया गया है।

एनएलआरएमपी के अंतर्गत केरल से प्राप्त प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) अभी विचाराधीन है, अतः अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। यूएफ़आरएमपी के दूसरे चरण के अंतर्गत, एनडीएमए की तकनीकी सलाहकार समिति ने तिरुवनंतपुरम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की है, जिसमें केरल राज्य से प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है जो अभी भी लंबित है। इस बीच, केरल सरकार ने एनडीएमए को राष्ट्रीय आपदा उपशमन निधि (एनडीएमएफ़) के अंतर्गत ₹161.75 करोड़ की लागत से एक तटीय क्षरण उपशमन परियोजना प्रस्तुत की है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु, भारत सरकार ने अनुकूलन, लचीलापन निर्माण तथा सामाजिक संरक्षण पर केंद्रित अनेक पहलें प्रारम्भ की हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एनएपीसीसी) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। केरल राज्य की संशोधित राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2023-2030 (एसएपीसीसी 2023-2030) के अंतर्गत, राज्य के लिए समग्र जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता प्रोफाइल तैयार की गई थी और व्यवस्थित तैयारी का आकलन करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कमियों का आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के प्रत्युत्तर में, केरल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आपदा जोखिम में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की परिकल्पना की है जिसमें वनीकरण परियोजनाएँ, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, मृदा क्षरण को कम करने और मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम उपशमन कार्यक्रम (एनडीएमए) के अंतर्गत 4 घटकों को डिज़ाइन किया गया है, जो केरल में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जैव-अभियांत्रिकी (बायो-इंजीनियरिंग) तथा सामुदायिक तैयारियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं।

***